जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 106वीं बैठक दिनांक 2.8.2006 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि एवं क्रियान्विति विवरण ।

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	पृष्ठ संख्या
1.	106.1	कार्यकारी समिति की 105वीं बैठक दिनांक 14.6.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।	विचार विमर्श पश्चात् कार्यकारी समिति की 105वीं बैठक में एजेण्डा नं. 16 को छोड़कर शेष निर्णयों की अनुपालना की पुष्टि की गई ।		
2.	106.2	श्री धर्मपाल जांगिड, विधि सहायक की एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् श्री जांगिड की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 28.6.06 से 27.6.07 अर्थात् 1 वर्ष की अभिवृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया ।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
3.	106.3	श्री सुखराम विश्नोई, साईट अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् श्री विश्नोई की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 4.1.07 तक अभिवृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया ।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
4.	106.4	सर्किल अभियन्ता(विद्युत) का एक नवीन पद सृजित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि निदेशक (अभियांत्रिकी) इस बाबत आगामी बैठक में अपनी टिप्पणी पेश करे कि क्या प्राधिकरण को इस पद की आवश्यकता है ।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
5.	106.5	श्री भंवर सिंह, [illegible] लेखाकार(प्रतिनियुक्ति पर) द्वारा पूर्व [illegible] हेतु इलाज पर व्यय की गई राशि के पुनर्भरण हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् श्री सिंह को उनके चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण हेतु रूपये 5,81,980/= स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से अग्रिम राशि 4 लाख का समायोजन किया जावे ।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
6.	106.6	श्री [illegible] सहाय सैनी, अमीन की प्रतिनियुक्ति अवधि में 4 वर्ष पश्चात 1 वर्ष की अभिवृद्धि की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात श्री सैनी की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 1.6.06 से 30.4.07 तक अर्थात् 1 वर्ष की अभिवृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
7.	106.7	मैसर्स शीन हाउसेस प्रा.लि. के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 79, 80 माथुर वैश्य नगर द्वितीय [illegible] गृ.नि.स. समिति का कुल क्षेत्रफल 907.54 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण नर्सरी ओचार्ड से व्यावसायिक (होटल) में किए जाने हेतु।	विचार विमर्श पश्चात मैसर्स शीन हाउसेस प्रा.लि. के पुनर्गठित भूखण्ड सं. 79, 80 माथुर वैश्य नगर-द्वितीय कुल क्षेत्रफल 907.54 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण नर्सरी ओचार्ड से व्यावसायिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु सेट बेक एवं भवन की अधिकतम उचाई प्रस्ताव अनुसार ही रखी जावे ।	निदेशक नगर (आयोजना)	
8.	106.8	श्रीमति निर्मला यादव एवं श्री अश्विनी कुमार यादव के न्यू पिंकसिटी गृ.नि.स. समिति लि. की गोजगढ़ विहार के पुनर्गठित आवासीय भूखण्ड 2 व 3 क्षेत्रफल 920.29 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किए जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रार्थीगणों के गोजगढ़ विहार के पुनर्गठित आवासीय भूखण्ड सं. 2 व 3 क्षेत्रफल 920.29 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु इसके दक्षिण में	निदेशक (आयोजना)	

	106.9	भूखण्ड संख्या ई–142, सी–स्कीम का भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किए जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला एजेण्डा नोट।	विचार विमर्श पश्चात् भू.सं. ई–142, क्षेत्रफल 767.77 वर्गगज सी–स्कीम का भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने की दी गई स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	अधिकारी उपायुक्त जोन–1	
10.	106.10	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हरमाड़ा तहसील आमेर के ख.न. 64 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 65 रकबा 2.41 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् ग्राम हरमाड़ा के खसरा नम्बर 64 व 65 रकबा 2.44 हैक्टेयर भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–12	
11.	106.11	डेयरी योजनाओं में डेयरी शिफ्ट करने के लिये आवंटित भूखण्डो के नजराना राशि देरी से जमा कराने की पुष्टि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–12	
12.	106.12	निरीक्षक (सहकारिता) के दो नवीन अस्थाई पद सृजित करने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्राधिकरण में सहकारिता के अधिक कार्य एवं आगामी नियमन अभियान को दृष्टिगत रखते हुये सहकारिता निरीक्षक के दो पद दिनांक 10.4.2006 से 1 वर्ष हेतु सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	
13.	106.13	भूखण्ड संख्या ए–291 जविप्रा कर्मचारी योजना ग्राम टीलावाला के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–9	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की स्वीकृति से **Supplementary Agenda**					
14.	106.14	राजभवन के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रस्तावित योजना की आरक्षित दर के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् राजभवन कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन हेतु योजना की आरक्षित दर रु. 1884/- प्रतिवर्गमीटर किये जाने तथा उसमें 30 प्रतिशत छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–12	
15.	106.15	खसरा नं. 180, 181, 184 एवं 186 ग्राम झालाना डूंगर तहसील सांगानेर जिला जयपुर रकबा 74,147 वर्गमीटर भूमि का भू–उपयोग औद्योगिक से वाणिज्यिक में परिवर्तन किए जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला एजेण्डा नोट।	विचार विमर्श पश्चात् खसरा नं. 180, 181, 184 एवं 186 ग्राम झालाना डूंगर तहसील सांगानेर जिला जयपुर रकबा 74,147 वर्गमीटर भूमि का भू–उपयोग औद्योगिक से वाणिज्यिक में परिवर्तन किया जाने हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष पेश करने हेतु अग्रप्रेषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही गैर मुमकिन नाला ख.नं. 182 की स्थिति यथावत रहेगी कोई बदलाव नहीं किया जावें। इसके अतिरिक्त राजकीय भूमि जो इन्हें औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी उसकी कीमत के पेटे कितनी राशि वसूल की जानी है कौन सी दर ली जानी है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निर्णय कराया जावें।	उपायुक्त जोन–1	

				अधिकारी	
[illegible]	106.16	जडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों को पेंशनर्स चिकित्सा योजना लागू करने बाबत ।	विचार विमर्श पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों [illegible] पेंशन चिकित्सा के रूप में वर्तमान निर्धारित राशि रू. 500/- प्रति वर्ष को बढ़ाया जाकर रू. 750/- प्रतिवर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया ।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
17.	106.17	सहायक नगर नियोजकों के 10 पदों को नगर नियोजक सहायक पद पर डाउनग्रेड करने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श पश्चात् सहायक नगर नियोजक के 10 पदों को अस्थाई रूप से नगर नियोजक सहायक पद पर डाउनग्रेड करने का निर्णय लिया गया ।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
18.	106.18	जविप्रा में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक का एक पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श पश्चात् प्राधिकरण में एक पद अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक का सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे ।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
19.	109.19	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जैसल्या तहसील आमेर के खसरा नम्बर 29 रकबा 1.05 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग इकॉलोजिकल से औद्योगिक उपयोग हेतु किये जाने हेतु ।	विचार विमर्श पश्चात् ग्राम जैसल्या तहसील आमेर के खसरा नम्बर 29 रकबा 1.05 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग इकॉलोजिकल से औद्योगिक उपयोग किये जाने हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु अग्रप्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।	निदेशक (आयोजना)	
20.	106.20	प्राधिकरण हेतु 4 मारुती एस्टीम (ए.सी.) क्रय करने बाबत ।	विचार विमर्श पश्चात् मारुती एस्टीम (ए.सी.) कार क्रय करने का निर्णय लिया गया ।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
21.	106.21	भूखण्ड सं. 1, 2, 3, ज्योति नगर योजना जिसका क्षेत्रफल 346.66 वर्गगज है को नियमित की जाकर एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 23.11.2005 में लिये गये निर्णय पूर्व में लिये गये निर्णय का रिव्यू किये जाने के सम्बन्ध में ।	गत बैठक सं. 105 दिनांक 14.6.2006 को हुई बैठक के एजेण्डा सं. 16 में वर्णित प्रकरणों में याचिकाओं को वापिस लिये जाने के वास्ते लिये गये निर्णय पर पुनः विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि याचिकाऐं वापिस नहीं ली जावें तथा माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय हो उसी अनुसार कार्यवाही की जावें ।	उपायुक्त जोन-3	

[illegible] विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 106वीं बैठक दिनांक [illegible].08.06 को प्रातः 11:00 बजे [illegible] विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री जी. एस. गुप्ता, [illegible] सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई । उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1.	श्री [illegible] कुमार शर्मा	शासन उप सचिव	नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य के प्रतिनिधि
2.	श्री जी. एस. गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री [illegible]	एडीएम, सिटी जयपुर	कलेक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
4.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री एस. सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री एस.सी. महागावकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री भुपेन्द्र कुमार शर्मा	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8.	श्री विनोद अजमेरा	सलाहाकार (इन्फ्रा)	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त	जयपुर नगर-निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री जी. एन. शर्मा	अधिक्षण अभियन्ता, शहर	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री आर.पी. श्रीवास्तव	अति.पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य के प्रतिनिधि
	अधिकारी उपस्थित			
12.	श्री रामनिवास मीणा	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री मातादीन शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	सुश्री रेखा गुप्ता	अति.आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री सी.एम. अग्रवाल	ओ.एस.डी.(आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री अरूण गुप्ता	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री राजेन्द्र शर्मा	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	डा. भागचन्द बधाल	उपायुक्त जोन-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री बी.एस. शर्मा	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री इन्दर सिंह सोलंकी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री प्रभात गोस्वामी	पी.आर.ओ.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

361

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2006/ 51-76 दिनांक: 4/9/06

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3.	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4.	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10.	जिला कलक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17.	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	उपायुक्त जोन...........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
जविप्रा, जयपुर